भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ
फा. सं. 6/48/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 26 दिसंबर,2024

मामला सं. एडी (ओआई) 45/2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

विषय: चीन जन. गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलोन फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 06/48/2024-डीजीटीआर- सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात पोलीफिल्मस प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "एडी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमें चीन जन.गण. और वियतनाम (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नाइलोन फिलामेंट यार्न" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु"अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "एनएफवाई" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

तद्नुसार, आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. विचाराधीन उत्पाद नाइलोन से निर्मित "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न" है जिसे पोलिअमाइड यार्न या नाइलोन फिलामेंट यार्न के रूप में जाना जाता है। नाइलोन फिलामेंट यार्न एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न होता है जिसे कार्बनिक मानोमर के पोलिमेराइजेशन से उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद मल्टी फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद में मदर यार्न, फुली ड्रान यार्न, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, ड्रा टेक्सचर्ड यार्न क्रिम्प यार्न, एअर ट्रक्सचर्ड यार्न, एअर कवर्ड यार्न, हाई ओरिएंटेड यार्न और हाई टेनासिटी यार्न शामिल हैं। सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नाइलोन या पोलीअमाइड नहीं होता है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

क. मोनो फिलामेंट यार्न

ख. बल्क कंटीन्यूअस फाइबर

ग. नायलॉन 66 यार्न

घ. हॉट मेल्ट यार्न

ड.. लो मेल्ट यार्न

च. बॉन्डेड यार्न

छ. कंडक्टिव यार्न

ज. एंटी-स्टेटिक यार्न

झ. नोमेक्स और अरामिड्स यार्न

2. विचाराधीन उत्पाद में नाइलोन या पोलियामाइड के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे फ्लैट यार्न-टविस्टेड और/या अनटविस्टिड, फुली ड्रान यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रान यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), पार्शियली ओरिएंटेड यार्न(पीओवाई), टेक्सचर्ड यार्न - ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड और डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड या केबल्ड, और नाइलोन के उच्च टेनासिटी यार्न हैं जो सीमा शुल्क शीर्ष 5402 के अन्तर्गत अध्याय 54 के

भीतर वर्गीकरण योग्य हैं। इस उत्पाद में नाइलोन फिलामेंट यार्न या पोलीअमाइड यार्न की सभी किस्में जैसे फ्लैट/टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्वसिटेड, ब्राइट/सेमी-डल/फुल डल (या उनकी किस्में), ग्रे/कलर्ड/डाइड (या उनकी किस्में), सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड (या उनकी किस्में), चाहे आकार में हों या नहीं, शामिल हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग अनेक परिधानों और वस्त्र अनुप्रयोगों में होता है, जैसे साड़ियां, दुपट्टा, पोशाक, स्विम वियर और एक्टिववियर तथा कालीन और अपहोलस्टेरी। इसका कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी प्रयोग होता है जैसे रस्सियां, केबल, बेल्ट, शीट कवर और एअर बैग। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग इसकी मजबूती, मुलायम होने, स्ट्रेचिबिलिटी, चमक, लाइटनेस, नमी सोखने, ड्रेप और सरल रंगाई क्षमता के लिए होता है। इसके बेहतर टिकाऊपन के कारण इसका प्रयोग आउटडोर वियर और उच्च मजबूती के फिशिंग लाइन, नेट और रोप में होता है।

4. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 के अंतर्गत शीर्ष 5402 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं को कई कोडों के अंतर्गत आयात किया जा रहा है, जिनमें 5402 19 10, 5402 19 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को वर्गीकरण मद 5402 19 20 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उत्पादों का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है और संबद्ध वस्तुओं को शीर्ष 5402 के अंतर्गत आने वाले अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी आयात किया जा सकता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए 4 अंकों के स्तर पर एचएस कोडों पर विचार किया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख के 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हों, संबंधी अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एक समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और

प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु से तुलनीय विशेषताएं रखती हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात पोलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, अन्य घरेलू उत्पादक भी समान वस्तु के उत्पादन में शामिल हैं। चार घरेलू उत्पादकों अर्थात एग्लोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पोलिप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टोडी रेयांस प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किया है।

8. आवेदकों ने बताया है कि वे संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों से संबंधित हैं। दो आवेदकों अर्थात सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आवेदकों द्वारा किए गए आयात उनमें उत्पादन और घरेलू बिक्रियों की दृष्टि से नगण्य हैं। इसके मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि आवेदक को घरेलू उद्योग होने का अपात्र नहीं माना जा सकता है।

9. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 37% हिस्सा है और समर्थकों के साथ भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 62% हिस्सा है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ . <u>संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. और वियतनाम हैं।

ङ. जांच की अवधि

11. आवेदकों ने प्रस्ताव किया है कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि को जांच की अवधि माना जाए। आवेदकों ने बताया है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 15 महीने की जांच अवधि उचित है क्योंकि इससे एक पूर्ण लेखांकन वर्ष तथा बिल्कुल हाल की अवधि शामिल हो पाएगी। यह भी बताया गया है कि जुलाई, 2023 – जून, 2024 पर जांच अवधि के रूप में विचार करने से लागत संबंधी आंकड़े तैयार करने में काफी व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी क्योंकि इसके लिए दो अलग वित्तीय वर्षों से जानकारी निकालना अपेक्षित होगा। आवेदकों ने दावा किया है कि उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत छोटी कंपनियां हैं और उनके संसाधन सीमित हैं। दो अलग वित्तीय वर्षों से सूचना निकालने और आधार बनाकर सूचना तैयार करने का कार्य आवेदकों के लिए अनावश्यक रूप से दुष्कर होगा।

12. उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ उचित समझी गई जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 (15 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल 2021-31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और जांच अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन के लिए आधार

<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. अत:, वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है और चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य के आवेदक घरेलू उद्योग की अनुमानित

उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है और तर्कसंगत लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

<u>वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य</u>

15. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास वियतनाम में घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन की वास्तविक लागत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं थी। इस प्रकार आवेदकों ने उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन लागत निर्धारित की है। आवेदकों ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और लागू खपत मानकों पर भरोसा करते हुए वियतनाम में आयातों के आधार पर और वियतनाम में विद्युत की कीमत के अनुसार वियतनाम में प्रचलित कच्ची सामग्री (कैप्रोलेक्टम) की कीमत को अपनाया है। बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए योग किए गए हैं।

16. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा यथा-निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

17. संबद्ध वस्तु की निर्यात की डीजी सिस्टम के आंकड़ों में यथा-सूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, हैंडलिंग प्रभार और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

<u>पाटन मार्जिन</u>

18. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो *प्रथमदृष्टया* दर्शाती है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने यह सिद्ध करते हुए *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास किया है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग को आयात की कम कीमत से प्रतिस्पर्धा करने और अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए घाटे में बिक्री करनी पड़ी है, इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो क्षति अवधि में और बिगड़ गई है। घाटे में बिक्री के बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची इकट्ठी को गई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद में कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथा-प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in ; adv11-dgtr@gov.in ; jd11-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित ढंग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दस्तावेज़ों के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों (30 दिनों) के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in ; adv11-dgtr@gov.in ; jd11-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पतों पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती

है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश में उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या

रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और एडी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफों के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों (7 दिनों) के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य

हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी